न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– सॉवरमल रैगर आर.ए.एस

वाद संख्या :– 59 / 22

बचनी देवी उर्फ रतन कंवर पत्नि स्व0 करणीसिंह कौम राजपूत साकिन कावनी तहसील व जिला बीकानेर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत

उपस्थित :– 1. श्री मूलसिंह राठौड वकील वादी
2. राज पैरोकार जरिए उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर

–:निर्णय :–

दिनांक :– 07 मई 2024

1. वकील वादीनी श्री मूलसिंह राठौड ने जरिए वाद एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिनी के नाम ग्राम कावनी में खसरां नबर 176 / 9 में 6 बीघा खातेदारी भूमि दर्ज अभिलेख है जिस पर वादिनी का कब्जा काश्त पुश्तैनी चला आ रहा है जिस पर वादिनी का निरंतर व शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादिनी ने हल्का पटवारी से नक्शा दिनांक 19.10.2022 को लिया जिस पर ज्ञात हुआ कि जहां पर वह काबिज है। वहां उसकी तरमीम नहीं की हुई है। रिकार्ड में तरमीम बिना मौका जांच किए की गई है। वादीनी राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती कराकर आराजी मुतनाजा को मौके के अनुसार तरमीम करवाकर दर्ज कराने के मुश्तहक है। अतः बिना मौका जांच किए की गई तरमीम को निरस्त कर मौका अनुसार तरमीम करने के आदेश प्रदान करवाने की कृपा करावें।
2. सर्वप्रथम वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी राजपैरोकार एवं उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को जरिए सम्मन तामिली करवाई गई जिस पर राजपैरोकार एवं उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि ग्राम कावनी के खसरां नंबर 176 / 9 तादादी रकबा 6 बीघा वादिया के नाम खातेदार दर्ज है परंतु लट्ठा ट्रेस (नक्शा) ग्राम कावनी में खसरां नबंर 176 / 9 को जो मानचित्र बनाया हुआ है वह माप से लगभग 25 बीघा का आता है । अतः पूर्व में जो तरमीम है वह सही नहीं है।
3. वकील वादी ने भी अपनी बहस में बताया कि मेरी भूमि ग्राम कावनी के खसरा नंबर 173 / 9 में 6 बीघा खातेदारी दर्ज अभिलेख है परंतु लट्ठा ट्रेस में तरमीम 25 बीघा की हुई है जो सही नहीं है। अतः दर्ज खातेदारी अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावे।
4. हमने वाद, राजपैरोकार के जवाब व वकील वादी की बहस पर मनन किया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादिनी बचनी देवी उर्फ रतन कंवर पत्नि स्व0 करणीसिंह राजपूत साकिन कावनी के नाम खसरा नंबर 176 / 9 में 6 बीघा बारानी खातेदारी

(सॉवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

भूमि दर्ज है परंतु इनकी तरमीम 25 बीघा की है जो की गलत है। अतः ग्राम कावनी के खसरा नंबर 176/9 की पूर्व की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है एवं उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम कावनी के खसरा नंबर 176/9 की 6 बीघा भूमि का मौका जांच कर पुनः तरमीम की जाकर पालना से न्यायालय को अवगत करवावें। निर्णय की प्रति उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत को पालनार्थ भेजी जावे।

5. पत्रावली तदनुसार फैसल शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07 मई 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत